

भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3716

दिनांक 18.12.2024 को उत्तर के लिए

युवा संसद कार्यक्रम

3716. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) युवाओं में लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने में युवा संसद कार्यक्रम की क्या भूमिका है;
- (ख) इस पहल के तहत आयोजित किए गए हाल के सत्रों में प्रतिभागियों की संख्या कितनी थी तथा इसके प्रमुख परिणाम क्या रहे;
- (ग) युवा संसद की पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) यह कार्यक्रम किस प्रकार युवाओं में नेतृत्व और नागरिक जिम्मेदारी विकसित करने में योगदान देता है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ग) युवाओं में लोकतांत्रिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय 1966-67 से संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से समय-समय पर देश भर के विद्यालयों और विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:

- i. शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधीन विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;
- ii. केंद्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;
- iii. जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और
- iv. विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

उपरोक्त के अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतियोगिताओं की समाप्ति के बाद दावा प्राप्त होने के अधीन रहते हुए निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है:-

क्र.सं.	विधानमंडल की सदस्य संख्या	प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि
1.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 100 तक है	रु.3 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष

2.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 100 से 200 के बीच है	रु.4 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
3.	विधानमंडल जिनकी सदस्य संख्या 200 से अधिक है	रु.5 लाख प्रति विधानमंडल प्रतिवर्ष
4.	संघ राज्य क्षेत्र, जहां कोई विधानमंडल नहीं है	रु.2 लाख प्रति संघ राज्य क्षेत्र प्रतिवर्ष

इसके अलावा, इस मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम की पहुंच और प्रभाव का विस्तार देश के अब तक अछूते क्षेत्रों और वर्गों तक करने के लिए, 26 नवंबर, 2019 को एनवाईपीएस पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। इसका नया संस्करण यानी एनवाईपीएस 2.0 भी 11 सितंबर, 2024 को लॉन्च किया गया है ताकि देश के सभी नागरिक संस्थागत और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से पोर्टल में भाग ले सकें और युवा संसद की बैठकें आयोजित कर सकें तथा 'क्रियाशील भारतीय लोकतंत्र' विषय पर आधारित प्रश्नोत्तरी के माध्यम से व्यक्तिगत भागीदारी कर सकें।

(ख) : मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम के तहत 4,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न युवा संसद प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इसके अलावा, 1,00,000 से अधिक विद्यार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से एनवाईपीएस पोर्टल पर भाग लिया है।

(घ) : मंत्रालय का युवा संसद कार्यक्रम लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने, अनुशासन और दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता जैसी स्वस्थ आदतों को विकसित करने और विद्यार्थी/युवा समुदाय को संसद के कामकाज से परिचित कराने में योगदान देता है।
